लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS.

प्रकरण संख्या : 04/ 2024
GCMS NO. : 2024/29

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री शरद पंड्या, कार्यालय अन्दर की खबर समाचार पत्र, घंटाघर के पास, त्रिपोलिया रोड, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 19–07–2024

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 16.05.2024 (पोस्टल ऑर्डर नं. 62 एफ 366016) को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा निर्धारित अवधि में भी सूचना उपलब्ध नही कराने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 27.06.2024 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 19.07.2024 को अपीलार्थी अनुपस्थित रहे। [illegible] पत्रांक 40(5) एडीएम/ आरटीआई/ 2024/ 52 दिनांक 04.07.2024 से जवाब प्रस्तुत किया [illegible] अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना पेश कर अवगत कराया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2024 से वांछित सूचना कार्यालय के

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:14 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पत्रांक 43 दिनांक 14.06.2024 द्वारा अपीलार्थी के मैनेजर (श्री अरुण) को उपलब्ध करवा दी गई है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं उसके संलग्न पत्रादि का अवलोकन किया। अपील अनुसार अपीलार्थी को उनके प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत दिनांक 16.05.2024 पर सूचना उपलब्ध नही कराने के कारण यह अपील पेश की है। अति. जिला कलक्टर (लोक सूचना अधिकारी) बांसवाडा द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय के पत्रांक 43 दिनांक 14.06.2024 द्वारा अपीलार्थी के मैनेजर (श्री अरुण) को उपलब्ध करवा दी गई है, जिसकी प्रति लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब के साथ संलग्न की है। चूंकि अपीलार्थी को उनके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19–07–2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव) **IAS.**
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2024.08.01 10:56:14 IST
Reason: SelfAttested